

**न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
तहसील चन्देरी जिला-अशोकनगर (म0प्र0)**

**दांडिक प्रकरण क.-198/15
संस्थापित दिनांक- 14.08.2015**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-
आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. आशाराम पुत्र रंधीर अहिरवार उम्र 44 वर्ष
निवासी- ग्राम बामौर हुर्ग तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-
(आज दिनांक 23.01.2017 को घोषित)**

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 323, 324, 506 भाग 2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 07.04.2015 को सुबह 9 बजे ग्राम बामौर हुर्ग में फरियादी सुनीता बाई के पति बादाम सिंह को लोकस्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व सुनीता बाई को धक्का देकर एवं बादाम सिंह को घातक हथियार लोहे के सबल से स्वच्छैया उपहति कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सुनीता बाई का घर अभियुक्त के पास है। दोनों के घरों की दीवार लगी हुई है तथा निकास का पानी गली में जाता है। घटना दिनांक 07.04.15 को सुबह 9 बजे फरियादिया सुनीता बाई का पति बादाम सिंह घर के बाहर खण्डजा के पत्थर हिल रहे थे उन्हें जमा रहा था तो अभियुक्त आशाराम वहां आया और मां बहन की गालियां देने लगा और लोहे के सबल से खण्डजा उखाड़ दिया और बादाम सिंह के सबल मारा जो उसके दाहिने तरफ गर्दन में लगा। जिससे मुंड़ी चोट आई और बादाम सिंह गिर गया। अभियुक्त ने फरियादिया को धक्का दिया। जिससे उसे गिरने से घुटनों में चोट लगी। मौके पर प्रकाश अहिरवार व बाबूलाल अहिरवार ने बीच बचाव किया था। आशाराम ने इसके बाद धमकी दी की यदि गली का पानी रोका तो जान से खत्म कर दूंगा। बादाम सिंह के

ज्यादा चोटें लगने से 108 एंबूलेंस से बादाम सिंह को फरियादियां अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया और उसके बाद घटना की रिपोर्ट करने पुलिस थाना चंदेरी आई।

- 03- फरियादियां सुनीता बाई ने घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 1 पुलिस थाना चंदेरी में दिनांक 07.04.15 को 14.00 बजे की थी। जिसके आधार पर पुलिस थाना चंदेरी ने अभियुक्त आशाराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 102/15 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भाग 2 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण में विवेचना की गई वाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.01.2017 को फरियादिया सुनीता बाई (अ० सा० 1) व आहत बादाम सिंह (अ० सा० 2) ने अभियुक्त से राजीनामा करने वाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द० प्र० सं० का प्रस्तुत किया। अभियुक्त पर आरोपित धारा 294, 323, 506 भाग 2 भा० दं० वि० शमनीय प्रकृति की होने से फरियादिया सुनीता बाई (अ० सा० 1) व आहत बादाम सिंह (अ० सर० 2) की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये अभियुक्त को राजीनामे के आधार पर भा० दं० वि० की धारा 294, 323, 506 भाग 2 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। धारा 324 भा० दं० वि० राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा के आरोप में अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 05- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द० प्र० सं० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या दिनांक 07.04.15 को सुबह 9 बजे अभियुक्त ने आहत बादाम सिंह को घातक हथियार लोहे के सबल से मारपीट कर उसे स्वच्छैया उपहति कारित की।
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07- प्रकरण में हुए राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुए। अभियोजन की ओर से मात्र फरियादी सुनीता बाई (अ० सा० 1) व बादाम सिंह (अ० सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये गये। सुनीता बाई (अ० सा० 1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना वर्ष 2015 की है। अभियुक्त उसका पडोसी है, घटना दिनांक को

उसका पति बादाम सिंह (अ0सा0 2) घर के बाहर खण्डजा के पत्थर ठीक कर रहे थे तो अभियुक्त ने आकर उसके पति को गालियां दी थी। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त कह रहा था कि नाली बंद कर रहे हो तथा आस पड़ोस के लोगों को समझाने पर भी अभियुक्त नहीं माना और उसके पति को मां बहन की गालियां दी। फरियादिया के अनुसार घटना के समय वह घर पर थी और झगड़े की आवाज सुन कर जब वह घर के बाहर आई थी तो झगड़ा शांत हो गया था और अभियुक्त अपने घर चला गया था। जिसके बाद उसके पति ने उसे साथ लेकर पुलिस थाना चंदेरी में प्र0पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। जिस पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

08— फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) के उपरोक्त कथनों अनुसार उसके सामने कोई घटना नहीं हुई तथा घटना के समय वह घर के अंदर थी। जब वह घर के बाहर आई तो झगड़ा शांत हो गया था और अभियुक्त अपने घर चला गया था। फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) अभियोजन कहानी के अनुसार स्वयं भी आहत है, परंतु यह साक्षी घटना के समय स्वयं को घर पर होना बताती है। घटना में अन्य आहत बादाम सिंह (अ0सा0 2) जो कि सुनीता बाई (अ0सा0 1) का पति है, अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि करता है, कि वह घटना के समय खण्डजा सही कर रहा था तो अभियुक्त ने उसे मां-बहन की गालियां दी थी तथा उसकी पत्नि को भी अभियुक्त ने गालियां दी थी, जबकि स्वयं सुनीता बाई (अ0सा0 1) घटना के बाद घर के बाहर आना बताती है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त से उसका कोई विवाद नहीं हुआ। अतः फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) व बादाम सिंह (अ0सा0 2) के कथनों में सुनीता बाई (अ0सा0 1) की घटना स्थल पर उपस्थित तथा उसके साथ अभियुक्त से हुए विवाद के संबंध में तात्त्विक विरोधाभास देखा जा सकता है।

09— फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) व बादाम सिंह (अ0सा0 2) ने इस संबंध में अभियोजन के समर्थन में कथन दिये हैं, कि घटना दिनांक को बादाम सिंह (अ0सा0 2) खण्डजा के पत्थर सही कर रहा था। जिस पर अभियुक्त ने उसे आकर गालियां दी थी। उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा उक्त घटना की पुष्टि प्र0पी 1 की रिपोर्ट से भी होती है, जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि खण्डजा के पत्थर लगाने पर से घटना दिनांक को अभियुक्त ने बादाम सिंह (अ0सा0 2) के साथ गाली गलौच की थी। परंतु घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादिया सुनीता बाई (अ0सा0 1) व बादाम सिंह (अ0सा0 2) के साथ मारपीट कर उपहति कारित की। इस संबंध में दोनों ही साक्षियों ने अपने अपने मुख्य परीक्षण में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) जिसके द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। घटना के समय घर पर होना बताती है तथा अभियुक्त से उसका कोई विवाद न होना एवं अभियुक्त द्वारा उसके साथ मारपीट न किया जाना बताती है। वहीं बादाम सिंह (अ0सा0 2) भी अपने

न्यायालीन कथनों में कहता है कि अभियुक्त ने उसके व उसकी पत्नी के साथ कोई मारपीट नहीं की तथा उसने मात्र गाली-गलौच की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी।

- 10— फरियादी सुनीता बाई (अ0सा0 1) व बादाम सिंह (अ0सा0 2) दोनों ही साक्षी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन कहानी के विपरीत मारपीट की घटना से इंकार करते हैं तथा अभियुक्त ने उनके साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित की, इस संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर विस्तृत परीक्षण किया गया, परंतु आरोपित अपराध के संबंध में इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये तथा अभियुक्त द्वारा की गई मारपीट की घटना से इंकार करते हुए। स्वयं बादाम सिंह (अ0सा0 2) के द्वारा स्वयं को आई चोटें गिरने से आना बताया गया।
- 11— घटना दिनांक को खण्डजा के पत्थर सही करने पर से अभियुक्त ने बादाम सिंह (अ0सा0 2) के साथ गाली-गलौच अवश्य की, परंतु उक्त दिनांक को अभियुक्त ने बादाम सिंह के साथ लोहे के सब्बल से मारपीट कर उसे उपहति कारित की, इस आशय की कोई साक्ष्य अभियोजन के समर्थन में उक्त घटना को प्रमाणित करने के लिये उपलब्ध नहीं हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 07.04.15 को सुबह 9 बजे अभियुक्त ने आहत बादाम सिंह को घातक हथियार लोहे के सब्बल से मारपीट कर उसे स्वच्छैया उपहति कारित की थी।
- 12— फलस्वरूप अभियुक्त आशाराम पुत्र रंधीर सिंह के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। अभियुक्त आशाराम पुत्र रंधीर सिंह को उपरोक्त आधार पर भा0दं0वि0 की धारा 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 13— अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्य हीन होने से नष्ट की जावे। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

